



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1994/चैत्र 10, 1916

No. 147]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1994/CHAITRA 10, 1916

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

मा. का. नि. 354(अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को बम्बई पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 15 से 20 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है; अर्थात्:—

तालिका

- | | |
|---|--|
| (1) अध्यक्ष | |
| (2) उपाध्यक्ष | |
| (3) सचिव, सरकार गृह विभाग (परिवहन) महाराष्ट्र सरकार | महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| (4) संयुक्त सचिव (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंत्रालय | जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| (5) सीमा शुल्क कलक्टर, बम्बई | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| (6) चीफ स्टाफ आफिसर मार्फत प्लेग आफिसर महाराष्ट्र क्षेत्र | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| (7) मुख्य प्रचारन अधीक्षक सेंट्रल रेलवे, बम्बई | भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| (8) निदेशक (मार्केटिंग प्रभाग), भारतीय तेल निगम लि. बम्बई | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

- | | |
|--|---|
| (9) निदेशक (लाइनर एवं यात्री सेवाएं) भारतीय नौबहन निगम लि. बम्बई | भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (10) श्री एम. आर. कुलकर्णी | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (11) डा. शान्ती जी. पटेल | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (12) श्री गणेशम शोबाक्रामनी | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (13) श्री दिनेश के लाल | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (14) श्री नारायण दास गुप्ता | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (15) श्री रामू एस देओरा | आलइंडियन शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (16) कैप्टेन वी एस कुमार | इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (17) श्री ए एस कसलीवाल | महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (18) श्री सुरेश ए कोटक | इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (19) श्री निमेष शाह | बम्बई कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| (20) श्री बी बी इब्राम | बम्बई स्टीवीडोर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
2. यह अधिनूचना 1 अप्रैल, 1994 में लागू होगी ।

[फा. नं. पी टी—8011/1/93—पी टी]

अणोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(PORTS WING) NOTIFICATION
New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 354(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 20 in the Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

- | | |
|---|---|
| (1) Chairman | |
| (2) Dy. Chairman | |
| (3) Secy. to the Government Home Deptt. (Transport),
Govt. of Maharashtra. | Representing the Govt. of Maharashtra. |
| (4) Joint Secretary (Ports)
Min. of Surface Transport. | Representing Ministry of Surface Transport. |
| (5) Collector of Customs,
Bombay. | Representing the Deptt. of Customs. |
| (6) Chief Staff Officer.
C/o Flag Officer,
Maharashtra Area. | Representing the Defence Services (Navy). |
| (7) Chief Operating Manager,
Central Railway, Bombay. | Representing the Indian Railways. |

(8) Director (Marketing Divn.), Indian Oil Corporation Limited, Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation Limited, Bombay.
(9) Director (Linear and Passenger Services), Shipping Corporation of India Limited, Bombay.	Representing the Shipping Corporation of India Limited.
(10) Shri S.R. Kulkarni	Representing the Labour employed in the Port.
(11) Dr. Shanti G. Patel	— Representing the Labour employed in the Port.
(12) Shri Ghansham Shewakramani	— Representing "Other Interests".
(13) Shri Dinesh K. Lal	— Representing "Other Interests".
(14) Shri Narain Das Gupta	— Representing "Other Interests".
(15) Shri Ramu S. Deora	- Representing the All India Shippers Council.
(16) Capt. B.S. Kumar	--- Representing the Indian National Ship-Owners' Association.
(17) Shri A.S. Kasliwal	. Representing the Maharashtra Chamber of Commerce and Industry.
(18) Shri Suresh A. Kotak	-- Representing the Indian Merchants' Chamber, Bombay.
(19) Shri Nimesh Shah	- Representing the Bombay Customs House Agents Association, Bombay.
(20) Shri B.B. Dubash	-- Representing the Bombay Stevedores Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/1/93—PT.]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा. का. नि. 355(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 17 से 21 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है; अर्थात्:—

तालिका

1. अध्यक्ष	
2. उपाध्यक्ष, (कलकत्ता पत्तन न्यास)	
3. उपाध्यक्ष, (हृदिद्या डाक काम्प्लेक्स)	
4. सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
5. सीमा शुल्क कलक्टर, कलकत्ता	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
6. संयुक्त सचिव (शिपिंग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय	जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7. नेवल आफिसर इन्चार्ज, कलकत्ता	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
8. प्रमुख परिचालन अर्धाक्षाक, दक्षिण पूर्वी रेलवे	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
9. श्री हेमलाल चटर्जी	पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
10. श्री जानकी मुर्कजी	पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
11. क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, भारतीय नौवहन निगम लि., कलकत्ता	भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
12. महाप्रबन्धक, तेल निगम लि., कलकत्ता	भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

13. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता ।	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय सड़क निर्माण निगम	भारतीय सड़क निर्माण निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
15. श्री लक्ष्मीनारायण सोमानी	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
16. श्री अनिल कुमार शर्मा	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17. श्री संजय सेन	ग्राल इंडिया शिपर्स कौमिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
18. श्री एच. पी. नोपानी	नॉवहन हित एसोशिएशन कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
19. श्री डी. एम. बोम	बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
20. श्री समीर कुमार घोष	बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
21. श्री जे. पी. चौधरी	इंडियन चैम्बर आफ कामर्स कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 में लागू होगी ।

[फा. सं. पी. टी. 18011/2/93—पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 355 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 16 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 17 to 21 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

- | | |
|---|---|
| (1) Chairman | — |
| (2) Dy. Chairman (CPT) | — |
| (3) Dy. Chairman
(Haldia Dock Complex). | — |
| (4) Secy. Transport Deptt.
Govt. of West Bengal. | — Representing the Govt. of West Bengal |
| (5) Collector of Customs,
Calcutta. | — Representing Customs Department. |
| (6) Joint Secy. (Shipping),
Min. of Surface Transport | — Representing Min. of Surface Transport. |
| (7) Naval Officer in Charge,
Calcutta. | — Representing Defence Services (Navy) |
| (8) Chief Operating Manager,
South Eastern Rly., Calcutta. | — Representing Indian Railways. |
| (9) Sh. Hemlal Chatterjee | — Representing Labour employed in the Port. |
| (10) Sh. Janaki Mukerjee | — Representing Labour employed in the Port. |
| (11) Regional Genl. Manager,
Shipping Corpn. of India Ltd.,
Calcutta. | — Representing Shipping Corporation of India Ltd. |
| (12) General Manager,
Indian Oil Corpn. Ltd.,
Calcutta. | — Representing Indian Oil Corporation Limited, |

- | | |
|---|--|
| (13) Chairman-Cum-Managing Director,
Central Inland Water Transport Corpn. Limited,
Calcutta. | — Representing Central Inland Water Transport
Corporation Ltd., Calcutta. |
| (14) Chairman-Cum-Managing Director
Indian Road Construction Corpn. Ltd. | — Representing Indian Road Construction
Corporation Limited. |
| (15) Sh. Lakshmi Narain Somani | — Representing "Other Interests". |
| (16) Sh. Anil Kumar Sharma | — Representing "Other Interests". |
| (17) Sh. Sanjoy Sen | — Representing All India Shippers Council. |
| (18) Sh. H.P. Nopany | — Representing the Association of Shipping Interests,
Calcutta. |
| (19) Sh. D.S. Bose | — Representing the Bengal Chamber of Commerce and
Industry, Calcutta. |
| (20) Sh. Samir Kr. Ghosh | — Representing the Bengal National Chamber of
Commerce and Industry Calcutta. |
| (21) Sh. J.P. Chowdhary | — Representing the Indian Chamber of Commerce,
Calcutta. |

2. This notification shall come into force on the 1st Day of April, 1994.

[F. No. PI-18011/2/93-PT]
ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा.का.नि. 356(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 15 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है; अर्थात्:

तालिका

- | | |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष | |
| 2. उपाध्यक्ष | |
| 3. विशेष सचिव, पत्तन, पशुपालन और डेयरी,
केरल सरकार। | केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 4. उप सचिव (पी.टी.) जल भूतल परिवहन मंत्रालय | जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 5. सीमा शुल्क, कलकट्टर, कोचीन | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 6. नेवल आफिसर इन्चार्ज,
कोचीन, सी.ओ. वेंदूति | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 7. मंडल रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे
तिरुवनंतपुरम, मंडल। | भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
कोचीन रिफाइनरीज लि. | कोचीन रिफाइनरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 9. उपाध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 10. श्री वयालर रवि | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 11. श्री के.पी.एम. मेनन | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 12. श्री एम.पी. मेहरोत्रा | "अन्य हितो" का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

13. श्री टी. शान्ता कुमार	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री दिनेश कुमार मलानी	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री डी.एम. बिष्ट	इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16. श्री पाउलोस जोसेफ	कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
17. श्री बी.टी. एल्वेजेंडर	इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

[फा.सं. पी.टां. 18011/3/93-पी.टां.]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 356 (E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Spl. Secretary, Ports, Animal Husbandry & Dairy, Govt. of Kerala.	— Representing the Govt. of Kerala,
4. Dy. Secretary (PT), Min. of Surface Transport	— Representing the Min. of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Cochin	— Representing the Department of Customs.
6. Naval Officer in Charge, Cochin, CO Venduruthy.	— Representing the Defence Services (Navy).
7. Divisional Rly. Manager, Southern Rly., Thiruvananthapuram Division.	— Representing the Indian Railways.
8. Chairman & Managing Director, Cochin Refineries Ltd.	— Representing the Cochin Refineries Limited.
9. Vice Chairman, Marine Product Export Development Authority	— Representing Marine Product Export Development Authority.
10. Sh. Vayalar Ravi	— Representing the Labour employed in the Port.
11. Sh. K.P.S. Menon	— Representing the Labour employed in the Port.
12. Sh. M.P. Mehrotra	— Representing "Other Interests"
13. Sh. T. Shanthakumar	— Representing "Other Interests"
14. Sh. Dinesh Kumar Malani	— Representing "Other Interests".
15. Sh. D.S. Bishl	— Representing the Indian National Shipowners Association.

16. Sh. Poulosc Joseph --- Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry.
17. Sh. V.T. Alexander --- Representing the Indian Chamber of Commerce and Industry.
18. Sh. M.K. Koshy --- Representing the South Western Indian Shippers Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/3/93-PT]
ASHOKI JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा.का.नि. 357 (अ).--केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में न्यायी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं. 16 से 20 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने हुए न्यायियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तालिका

1. अध्यक्ष
 2. उपाध्यक्ष
 3. सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाडु सरकार । तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 4. विकास सलाहकार (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंत्रालय जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 5. सीमाशुल्क कलक्टर, मद्रास सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 6. नेवल आफिसर इन्चार्ज, मद्रास रक्षा मेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 7. मुख्य प्राचालन प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे, मद्रास । भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 8. श्री एम.सी.सी. एन्टोनी विल्स पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 9. श्री एस. कृष्णन पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 10. मुख्य महाप्रबन्धक, एम एम टी सी खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 11. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लि. मद्रास रिफाइनरीज लि., मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 12. सदस्य (जनरेशन), तमिलनाडु, विद्युत बोर्ड । तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 13. निदेशक (तकनीकी एवं अल्पतटीय सेवाएं) भा. नौ. नि. भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 14. श्री एस.आर. वैकटाचालम अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 15. श्री सुधीर चन्डोक अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 16. श्री बी.आर. बुजारी आल इंडिया शिपर्स कोमिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- : श्री एस. एम. राय इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

- | | |
|--------------------------|--|
| 18. श्री अशोक आर. ठक्कर | हिन्दुस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 19. श्री एम.एन. श्रीवांत | मद्रास चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 20. श्री एन. सी. विल्वै | मद्रास इंडिया, चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1, अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

[फा. सं. पी.टी. -18011/4/93-पी.टी.]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994.

G.S.R. 357 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Persons mentioned against serial numbers 1 to 15 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 16 to 20 in the said table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	
2. Dy. Chairman	
3. Secretary, Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.	— Representing the Govt. of Tamilnadu
4. Development Adviser (Ports) of Surface Transport.	— Representing the Min. of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Madras.	— Representing Customs Department.
6. Naval Officer in Charge, Madras.	— Representing the Defence Services (Navy).
7. Chief Operating Manager, Southern Railway, Madras.	— Representing the Indian Railways.
8. Sh. S.C.C. Antony Pillai	— Representing Labour employed in the Port.
9. Sh. S. Krishnan	— Representing Labour employed in the Port.
10. Chief Genl. Manager, MMTC.	— Representing Minerals & Metal Trading Corporation Ltd.
11. Chairman & Managing Director, Madras Refineries Ltd.	— Representing Madras Refineries Ltd., Madras.
12. Member (Generation), TNEB	— Representing Tamil Nadu Electricity Board.
13. Director (Technical and Offshore Services), SCI.	— Representing Shipping Corporation of India Ltd.
14. Sh. S.R. Venhatachalam	— Representing "Other Interests".
15. Sh. Sudhir Chandhok	— Representing "Other Interests".
16. Sh. B.R. Dujari	— Representing All India Shippers Council.
17. Sh. S.N. Roy	— Representing Indian National Shipowners Association.
18. Sh. Ashok R. Thakkar	— Representing Hindustan Chamber of Commerce and Industry.
19. Sh. S.N. Srikanth	— Representing Madras Chamber of Commerce and Industry.
20. Sh. N.C. Pillai	— Representing Southern India Chamber of Commerce & Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/4/93-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श.धिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा.का.नि. 358(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम संख्या 15 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :—

तालिका

- | | |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष | |
| 2. उपाध्यक्ष | |
| 3. सचिव (अंतर्देशीय जल परिवहन),
गोवा सरकार | गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 4. उप सचिव (पी.टी.)
जल भूतल परिवहन मंत्रालय | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 5. सीमा शुल्क कलक्टर, गोवा | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 6. चीफ मेटाफ आफिसर/प्लेग आफिसर,
गोवा क्षेत्र। | रक्षा सेवाओं (नी सेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 7. मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे,
टुबली | भारतीय रेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 8. महाप्रबन्धक, पश्चिमी क्षेत्र
भारतीय तेल निगम लि., बम्बई | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 9. उप महाप्रबन्धक,
खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.,
गोवा | खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 10. श्री एम.आर. कुलकर्णी | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 11. श्री एम. के. शेट्टेय | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 12. श्री मुकेश जैन | “अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 13. श्री धिनोद भटनागर | “अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 14. श्री बीरेन्द्र चांपड़ा | “अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 15. श्री सुन्दर लाल आर ठक्कर | इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 16. श्री अनिल सालगावकर | गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 17. श्री रामनाथ जी. खरे | गोवा चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने का लिए। |
| 18. श्री टी. यू. खोलकर | मुरगांव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

[फा. सं. पीटी-18011/5/93-पीटी]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 358 (E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 18, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary (Inland Water Transport), Govt. of Goa.	— Representing the Government of Goa.
4. Deputy Secretary (PT) Min. of Surface Transport	— Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Goa	— Representing the Department of Customs.
6. Chief Staff Officer/ Flag Officer Goa Area	— Representing the Defence Services (Navy).
7. Divisional Rly. Manager, South Central Railway, Hubli.	— Representing the Indian Railways.
8. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Ltd., Bombay.	— Representing the Indian Oil Corporation Limited.
9. Deputy General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., Goa.	— Representing Minerals and Metal Trading Corporation Limited.
10. Sh. S.R. Kulkarni	— Representing the Labour employed in the Port.
11. Sh. S.K. Shetye	— Representing the Labour employed in the Port.
12. Sh. Mukesh Jain	— Representing the 'Other Interest'.
13. Sh. Vinod Bhatnagar	— Representing the 'Other Interest'.
14. Sh. Virender Chopra	— Representing the 'Other Interest'.
15. Sh. Sunderlal R. Thakker	— Representing the Indian National Shipowners' Association.
16. Sh. Anil Salgaocar	— Representing the Goa Mineral Ore Exporters Association.
17. Sh. Ramnath G. Khare	— Representing the Goa Chamber of Commerce and Industry.
18. Sh. T.V. Kholker	— Representing the Mormugao Ships' Agents Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/5/93—PT]
ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सांकांति० 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम संख्या 16 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

- | | |
|---|--|
| 1. अध्यक्ष | |
| 2. उपाध्यक्ष | |
| 3. सचिव, सड़क एवं भवन निर्माण गुजरात सरकार | गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 4. निदेशक (नौवहन) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 5. सीमा शुल्क, कलक्टर, कांडला | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 6. नेवल आफिसर इंचार्ज सौराष्ट्र | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 7. क्षेत्र अधिक्षक, पश्चिम रेलवे | भारतीय रेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 8. निदेशक (प्रचालन) तेल समन्वय समिति | भारतीय तेल निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 9. मुख्य वित्तीय प्रबंधक राज्य व्यापार निगम, कांडला | राज्य व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 10. श्री मनोहर जी. कोतवाल | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 11. श्री एन. के. आसानी | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 12. श्री रामदास शेटीपल्ली | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 13. श्री प्रेम बजाज | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 14. श्री गौलेन्द्र सिंह डी. जाडेजा | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 15. श्री सत्य नारायण अग्रवाल | अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 16. श्री चंपा लाल पारीख | गांधीधाम चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 17. श्री जी. एन. पारूलकर | इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 18. श्री डाकरोभाई पी. अमीन | गुजरात चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 19. श्री विनीत विरमानी | पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 359 (E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Nos. 1 to 15 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against Serial Nos. 16 to 19 in the said Table as elected Trustees to the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	—
2. Deputy Chairman	—
3. Secy. Roads & Building, Government of Gujarat.	— Representing Govt. of Gujarat.
4. Director (Shipping), Min. of Surface Transport.	— Representing Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Kandla.	— Representing Deptt. of Customs,
6. Naval Officer in-charge, Saurashtra.	— Representing the Defence Services (Navy).
7. Area Superintendent, Western Railway.	— Representing the Indian Railways.
8. Director (Operation), Oil Co-ordination Committee.	— Representing Indian Oil Corporation Limited.
9. Chief Financial Manager, State Trading Corpn. Kandla.	— Representing State Trading Corporation Limited.
10. Shri Manohar G. Kotwal	— Representing Labour employed in the Port.
11. Shri N.K. Aswani	— Representing Labour employed in the Port.
12. Shri Ramdas Settupalli	— Representing "Other Interests".
13. Shri Prem Bajaj	— Representing "Other Interests".
14. Shri Shailendrasinh D. Jadeja	— Representing "Other Interests".
15. Shri Satya Narain Aggarwal	— Representing "Other Interests".
16. Shri Champalal Parekh	— Representing Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.
17. Shri G.N. Parulekar	— Representing Indian National Ship-Owners' Association.
18. Shri Thakorbbhai P. Amin.	— Representing Gujarat Chamber of Commerce and Industry.
19. Shri Vineet Virmani	— Representing Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/6/93-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा०का०नि० 360(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के माथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

1. अध्यक्ष	
2. उपाध्यक्ष	
3. सचिव, वाणिज्य और परिवहन विभाग, उड़ीसा सरकार	उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. विकास मलाहकार (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंत्रालय	जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, भुवनेश्वर।	सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. मंडल रेलवे प्रबंधक खुद प्रभाग, दक्षिण पूर्वी रेलवे	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. प्रभारी नौसेना अधिकारी, पारादीप और सीओ चिल्का	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. महाप्रबंधक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. मुख्य इंजीनियर, (यांत्रिक/कोयला) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र) भारतीय तेल निगम लि०	भारतीय तेल निगम लि० का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. श्री अन्तरजामी पटनायक	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. श्री जी. पी. के. श्रीरामामूर्ति	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मानिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. श्री रामनाथ पाणि	उत्कल चैम्बर वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री बी. पी. मोहंली	उड़ीसा चैम्बर वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

[सा०सं० पी०टी०-18011/7/93-पी०टी०]

अशोक जांशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 360 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 14 in the Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary, Commerce and Transport Department, Government of Orissa.	-- Representing the Government of Orissa.
4. Development Adviser (Ports) Ministry of Surface Transport.	— Representing the Ministry of Surface Transport.

5. Collector of Customs and Central Excise, Bhubaneswar.	— Representing the Customs Department.
6. Divisional Rly. Manager, Khurda Division, South Eastern Railway.	— Representing the Indian railways.
7. Naval Officer-in-Charge, Paradip and CO Chilka.	— Representing the Defence Services (Navy).
8. General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Ltd.	— Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Limited.
9. Chief Engineer, (Mechanical/Coal), Tamilnadu Electricity, Board.	— Representing the Tamilnadu Electricity Board.
10. General Manager (Eastern Region), Indian Oil Corporation Ltd.	— Representing the Indian Oil Corporation Limited.
11. Sh. Antarjami Patnaik	— Representing "Other Interests".
12. Sh. G.V.K. Srirama Murthy.	— Representing the Indian National Shipowners' Association.
13. Sh. Ramanath Pani	— Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry.
14. Sh. B.P. Mohanty	— Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/7/93-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा०का०नि० 361(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं० 14 एवं 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को, उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

1. अध्यक्ष	
2. उपाध्यक्ष	
3. जिला समाहर्ता, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश सरकार	आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. उ० विस सलाहकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय	जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क समाहर्ता, विशाखापत्तनम	सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. मंडल रेलवे प्रबंधक, बाल्टेयर, दक्षिण पूर्वी रेलवे	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. प्रभारी नौसेना अधिकारी, विशाखापत्तनम	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि०, विशाखापत्तनम।	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. महाप्रबंधक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, विशाखापत्तनम	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. मुख्य इंजीनियर, (यांत्रिक/कोयला), तमिलनाडु विद्युत बोर्ड।	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

11. श्री डी०के० शर्मा	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
12. श्री वी० वी० रामाराव	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
13. श्री डी० श्रीनिवास राव	“अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14. श्री वी०बी०वी० रेड्डी	विशाखापत्तनम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
15. श्री जी० पट्टाभि रमैया	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी।

[फा०सं०पी०टी० 18011/8/93 पी०टी०]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 361 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 and 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. District Collector, Visakhapatnam, Govt. of Andhra Pradesh.	— Representing Govt. of Andhra Pradesh.
4. Dy. Financial Adviser, Min. of Surface Transport.	— Representing Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Visakhapatnam.	— Representing Department of Customs.
6. Divisional Rly. Manager Waltair, South Eastern Railway.	— Representing the Indian Railways.
7. Naval Officer-in-Charge Visakhapatnam.	— Representing the Defence Services (Navy).
8. General Manager, Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Visakhapatnam.	— Representing the Hindustan Petroleum Corporation Limited.
9. General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Limited, Visakhapatnam.	— Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Limited, Visakhapatnam.
10. Chief Engineer, (Mechanical/Coal), Tamilnadu Electricity Board.	— Representing the Tamilnadu Electricity Board, Madras.
11. Sh. D.K. Sharma	— Representing the Labour employed in the Port.

-
- | | |
|-----------------------------|--|
| 12. Sh. V.V. Rama Rao | -- Representing the Labour Employed in the Port. |
| 13. Sh. D. Srinivasa Rao | — Representing "Other Interests". |
| 14. Sh. V.B.V. Reddy | - Representing the Visakhapatnam Chamber of Commerce, Visakhapatnam. |
| 15. Sh. G. Pattabhi Ramayya | --- Representing the Indian National Shipowners' Association. |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/3/93-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.